भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 180

6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ

**विषय: छोटे किसानों के वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाना**

180: श्री पीयूष गोयल:

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या सरकार के पास ग्रामीण तथा दूरस्‍थ क्षेत्रों में किसानों के लिए वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) किसानों को लाभान्‍वित करने हेतु ग्रामीण बैंकिग तथा सूक्ष्‍म वित्‍त के संबंध में नए अवसर उपलब्‍ध कराने के लिए उभरती संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) क्‍या वित्‍तीय सेवाओं को विपणन तथा विस्‍तार सेवाओं जैसी गैर-वित्‍तीय सेवाओं से जोड़े जाने के संबंध में व्‍यवहार्यता संबंधी कोई अध्‍ययन कराया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरे सहित इसके क्‍या कारण हैं ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. जी, हां ।
2. से (ग) : वित्‍तीय समावेशन का उद्देश्‍य देश के गैर-पोषित आबादी के लिए वित्‍तीय सेवाओं को बढ़ाना है । इस उद्देश्‍य के साथ तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा स्‍थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) सहित बैंकिंग क्षेत्र, अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंकों की पहुंच को बढ़ाने के लिए वित्‍तीय तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बिचौलियों की सेवाओं को प्रयोग करने के लिए स्‍वीकृत किया गया है । वित्‍तीय समावेशन प्राप्‍त करने के लिए व्‍यापार सम्‍पर्कों के रूप में उन्‍हे सेवानिवृत बैंक कर्मचारियों, अध्‍यापकों, सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, किराना/मेडिकल/उचित मूल्‍य की दुकानों आदि के मालिकों
3. प्रश्‍न 180

जैसे लोगों को साथ लगाने के लिए भी स्‍वीकृत किया गया है । सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी (आई सी टी) के माध्‍यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्‍तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष (एफआईटीएफ),एसएचजी हेतु मोबाइल आधारित एकाऊटिंग प्रणाली, एसएचजी हेतु टेबलेट पी सी, आधारित एकाऊटिंग प्रणाली बिक्री मुद्दों (पीओएस)/हाथ से चलने वाले उपकरण के माध्‍यम से ई-बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का स्‍मार्ट कार्ड सह डेविट कार्ड में परिवर्तन जैसी पहले आरंभ की गई हैं ।

(घ) एवं (ड.): वित्‍तीय समावेशन प्राप्‍त करने के लिए व्‍यापार सम्‍पर्कों के रूप में साथ लगाए जाने के लिए वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में पहले से विपणन एवं विस्‍तार सेवाओं जैसी गैर-वित्‍तीय सेवाओं के प्रदाताओं को साथ लगाए जाने का प्रावधान है ।

---